सं0-4195/62-2-2014-2/3(13)/2014

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड,
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

लखनऊ- दिनांक- 23 जनवरी,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लघु सिंचाई योजना (सतही पम्पसेट) में कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध मे। (जिला योजना)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-1988/ल0सिं0/बजट-3/2014-15, दिनांक 30-12-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला योजनान्तगर्त संचालित सतही पम्पसेट की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि `&7.50 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-1696/62-2-2014-2/3(13)/2014, दिनांक 11-7-2014 द्वारा धनराशि `&0.85 लाख तथा शासनादेश सं0-2164/62-2-2014-2/3(13)/2014, दिनांक 20-8-2014 द्वारा धनराशि `&0.42 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरांत अवशेष धनराशि `&6.23 लाख में से गत वर्ष की संसूचित धनराशि `&1.28 लाख (रूपया एक लाख अटठाइस हजार मात्र) संलग्न विवरणानुसार पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 20-8-2014 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना (जिला योजना)-27--सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-4195(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।

4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।

5- संबंधित जिलाधिकारी।

6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।

7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।

8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

9- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

13- एन0आई0सी0 की प्रति।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।